न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 05/2023

1. मुन्नीदेवी पत्नी श्री सुरजाराम पुत्री श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी पारीक कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रामप्यारी पत्नी श्री रामकुमार पुत्री श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी पारीक कॉलोनी, हनुमानगंड टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. धापांदेवी उर्फ कमलेश पत्नी श्री पन्नाराम पुत्री स्व० मंगलाराम जाति बावरी निवासी 22 पी. एस रायसिंह नगर हाण्डा कॉलोनी के पास तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. जगदीश राम पुत्र स्व० रतनीदेवी पिता का नाम शकरलाल जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट्स

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़

—मुख्य प्रत्यर्थी

2. भूरीदेवी पत्नी स्व० कानाराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी डाबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. भैराराम पुत्र स्व श्री कानाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्ण पुत्र स्व श्री कानाराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. श्रीमती सोमती पुत्री स्व० कानाराम पत्नी मोतीराम जाति बावरी निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. अमर भाटी माता स्वः रतनी देवी पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
7. रूपराज माता स्व० स्तनी देवी पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
8. श्रीमती सरबती देवी माता स्व० रतनी देवी पुत्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी कंवरा तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
9. श्रीमती भंवरी देवी माता स्व0 रतनी देवी पुत्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी कंवरा तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
10. श्रीमती आशादेवी पत्नी श्री श्योलाल पुत्री स्व० श्री मंगलाराम जाति बावरी निवासी श्यामगड तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
11. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार (भू०अ०) डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।

—तरतीबी प्रत्यर्थीगण

न्यायालय उप तहसीलदार (भू०अ०) डबली राठान द्वारा पत्रावली बअनवानी गोविन्द राम बनाम राज० राज्य बाबत वसीयत पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 23.02.22 को निरस्त कर नामान्तकरण सख्या—70 दिनांक 01.09.2022 को निरस्त किए जाने बाबत।

उपस्थितः— 1. श्री छगनलाल सिडाना अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1।
3. श्री अजय कुमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5।
4. श्री पलविन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5।
5. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकिय अधिवक्ता।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

–:निर्णय:–

दिनांक:–16.01.2026

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील हनुमानगढ़ के अधीनस्थ चक नम्बर 10 एस.जी. जी. जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या–70/63 प०न० 93/282 (28) कि०न० 23,24/.506, 25/1/.228 25/2/.025 प० न0 93/283(42) कि०न० 3/1/.215, 3/2/.038 4/1/.215, 4/2/.038, 7/.253 8/1/.240 8/2/.013, 13, 14, 17, 18, 19/1.265 है०, प०न० 94/283 (42) कि०न० 4/1/.215 4/2/.038, 7, 11, 14, 17, 20/1.265 है०, कुल तादादी 4.554 है0 नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रत्यर्थी संख्या–1 गोविन्द राम ने दिनांक 12.01.2004 को न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ में एक राजस्व वाद बअनवानी गोविन्द राम बनाम श्रीमती चैनादेवी आदि के नाम से प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद सख्या–10/2004 पर दर्ज हुआ एवं कानाराम ने गोविन्द राम के साथ मिलकर एक राजस्व वाद बअनवानी कानाराम आदि बनाम रतनीदेवी आदि के से प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 86/2004 पर दर्ज हुआ। दोनो वादपत्र एक ही कृषि भूमि व एक ही पक्षकारों के मध्य होने के कारण न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ द्वारा राजस्व वाद बअनवानी गोविन्द राम बनाम चैनादेवी आदि राजस्व वाद सख्या–10/2004 व राजस्व वाद बअनवानी कानाराम आदि बनाम रत्नी देवी आदि राजस्व वाद सख्या–86/2004 में एक ही निर्णय दिनांक 24.04.2006 को पारित कर गोविन्द राम व कानाराम के राजस्व वाद निरस्त कर दिये गये। जिससे अप्रसन्न होकर गोविन्दराम व कानाराम ने दो भिन्न–भिन्न अपीले न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 16.03.2020 को निरस्त कर दी गई। गोविन्द राम पुत्र श्री मंगलाराम ने न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ में एक राजस्व वाद बअनवानी गोविन्द राम बनाम कानाराम आदि राजस्व वाद संख्या–34/2009 इस आशय का प्रस्तुत किया कि गोविन्द राम के पिता के नाम चक 10 एस.टी.जी में 19 बीघा कृषि भूमि है। गोविन्दराम के पिता मंगलाराम का दिनाक 26.03.2003 को व माता चैनादेवी का देहान्त 22.02.2004 को हो चुका है। वादपत्र में गोविन्दराम ने का अभिकथन किया कि मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में दिनाक 22.06.1984 को उपरोक्त वर्णित 19 बीघा कृषि भूमि में से चक नम्बर 10 एस.टी.जी प0न0 94/282 किला नं0 24, प0न० 93/282 कि०न0 25, प० न० 94/283 कि०न० 4, 7, 14, 17, कुल तादादी 6 बीघा की एक वसीयत गोविन्दराम के पक्ष में रोबस गवाहान निष्पादित करवाई। इसमें से प0न० 94/282 कि०न० 24 को मंगलाराम ने विक्रय कर दिया एवं इसके स्थान पर प०न० 93/282 कि०न० 23 जुबानी गौविन्द राम को दे दिया, इस प्रकार 6 बीधा की कृषि भूमि की गोविन्दराम घोषणा करवाने का अधिकारी है। न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ ने गोविन्द राम का राजस्व वाद दिनांक 27.01.2012 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध गोविन्द राम ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा–223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी गोविन्द राम बनाम कानाराम आदि के नाम से प्रस्तुत की, जो अपील सख्या–2012/00118 (36/2012) 223 आर टी एक्ट पर दर्ज होकर दिनांक 16.03.2020 को निर्णीत हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने गोविन्दराम द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी। गोविन्द राम के तीनो राजस्व वाद एवं इनकी अपीले निरस्त होने के बाद गोविन्द राम ने उपतहसीलदार डबलीराठान से दुर्भीसन्धी कर मिथ्या आधारों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मंगलाराम की कृषि भूमि में से 5/18 हिस्सा की कृषि भूमि अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली। उपतहसीलदार डबलीराठान ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर गलत रूप से आदेश दिनांक 23.02.2022 पारित किया है। गोविन्द राम ने राजस्व वाद बअनवानी गोविन्दराम बनाम श्रीमती चैनादेवी आदि राजस्व वाद सख्या–10/2004 में यह अभिकथन किया कि स्व० मगलाराम ने चक नम्बर 10 एस.टी.जी की उपरोक्त वर्णित 18 बीघा कृषि भूमि में से 6 बीघा कृषि भूमि गोविन्दराम को बांट कर दे दी थी, इसलिए यह 6 बीघा कृषि भूमि उसके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे। इस वादपत्र में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 10 ने प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि मगलाराम के कुल 7 वारिसान् है, इसलिए प्रत्येक वारिस 1/7 हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। न्यायालय सहायक कलक्टर

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

हनुमानगढ़ ने दिनाक 24.04.2006 को गोविन्दराम व कानाराम आदि द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या–10/2004 व 86/2004 निरस्त कर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 10 के प्रतिदावा (काऊंटर क्लेम) स्वीकार कर यह आदेश दिया कि चक नम्बर 10 एस.टी.जी. खाता संख्या–58/58 सम्वत् 2058 से 61 में दर्ज 4.554 है० आराजी में कानाराम गोविन्दराम व वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या–3/1 से 3/5, 4 ता 7 ब0हि0ब0, 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं चैनावाई के नाम दर्ज आराजी चक 10 एस.टीजी खाता संख्या–25/28 सम्वत् 2058–61 व चक नम्बर 11 एस. टी.जी. खाता संख्या–16/15 सम्वत् 2059–62 को विरासतन उनके वारिसान के नाम दर्ज है, पर उनके वारिसान् वादपत्र के प्रतिवादी सख्या–3/1 से 3/5 को खातेदार घोषित किया जाता है व पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन हेतु काऊंटर क्लेम प्राथमिक डिक्री दिया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ को 300/– रूपये की फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि घोषणा अनुसार पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन के प्रस्ताव अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के अनुसार मय मानचित्र तैयार कर भिजवावें। इसी प्रकार दोनो राजस्व वादपत्रों में डिक्री पारित की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ में प्रस्तुत अपील वअनवानी गोविन्दराम बनाम कानाराम आदि अपील सख्या 36/2012 व अपील वअनवानी गोविन्द राम बनाम कानाराम आदि (अपील सख्या–47/2006) 223. आर.टी एक्ट दिनाक 16.03.2020 को निरस्त कर दी गई। इसके बाद अपीलार्थीगण के ज्ञान के अनुसार प्रत्यर्थीगण सख्या–1 ता 5 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त की गई अपीलों की कोई द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत नहीं की। न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24.04,2006 व 27.01.2012 राजस्व वादपत्रों में अन्तिम व प्रभावकारी हो चुके हैं। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 16.03.2020 को समस्त अपीले निरस्त किये जाने के बाद गोविन्द राम ने जानबूझकर बदयतिपूर्वक पूर्व के निर्णयों को छिपाते हुए दिनाक 13.12.2021 को शिविर प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गावों के संग अभियान में आवेदनपत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि मंगलाराम का दिनाक 26.03.2003 को स्वर्गवास हो चुका है, गोविन्दराम ने अपने जीवनकाल में एक दस्तावेज वसीयत गाँव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष प०न० 94/282 किला नं0 24, प०न० 93/282 कि०न० 25, प०न० 94/283 कि०न० 4, 7, 14, 17, कुल 6 बीधा का मेरे पक्ष में करवाया था। उक्त रकबा में से प०न० 94/282 कि०न० 24 मेरे पिता ने बेचान कर दिया। शेष 5 बीघा रकबा का इन्तकाल गोविन्दराम के नाम किया जावे। उप तहसीलहार (भू0अभि०) डबली राठान ने सही स्थिति का अवलोकन किये बिना एवं बिना किसी दस्तावेज के दिनांक 23.02.2022 को निर्णय पारित किया कि मंगलाराम पुत्र सालूराम जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब द्वारा अपनी चक 10 एस.टी.जी की 1.265 है० कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 24.04.1983 को गोविन्दराम के पक्ष में निष्पादित करवाई। वसीयतकर्ता की दिनांक 26.03.2003 को मृत्यु हो चुकी है। वसीयत दिनांक 28.06.1984 निर्विवादित खातेदारी कृषि भूमि की होने के कारण उक्त वसीयत अनुसार नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इस आदेश के आधार पर पटवारी हल्का ने गोविन्दराम के पक्ष में चक नम्बर 10 एसजीजी जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 70/63 प०न० 93/282 (28) कि०न० 23,24/.506, 25/1/.228 25/2/.025 प० न0 93/283(42) कि०न० 3/1/.215, 3/2/.038 4/1/.215, 4/2/.038, 7/.253 8/1/.240 8/2/.013, 13, 14, 17, 18, 19/1.265 है०, प०न० 94/283 (42) कि०न० 4/1/.215 4/2/.038, 7, 11, 14, 17, 20/1.265, है0 कुल तादादी 4.554 है0 में से जरिए नामान्तकरण सख्या–70 दिनाक 29.08.2022 को 5/18 हिस्सा की कृषि भूमि गोविन्दराम के नाम व 13/18 हिस्सा की कृषि भूमि मंगलाराम पुत्र सालूराम के नाम दर्ज कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है–पत्रावली में प्रस्तुत किये गये अभिकथित दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नगत दस्तावेज पर मगलाराम के अंगुष्ठ हैं अथवा नहीं। अभिकथित दस्तावेज मंगलाराम ने गवाहान् से दुर्भीसन्धी कर फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया एवं उपतहसीलदार डबली राठान ने पत्रावली का अवलोकन किये विना ही अभिकथित दस्तोवज को वसीयत दस्तावेज मानकर कानूनी भूल की है। गोविन्दराम ने राजस्व वाद वअनवानी गोविन्दराम बनाम चैनादेवी आदि राजस्व वाद संख्या–10/2004 एवं राजस्व वाद वअनवानी कानाराम आदि बनाम रतनीदेवी आदि

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

वाद संख्या–86/2004 एवं राजस्व वाद बअनवानी गोविन्द राम बनाम कानाराम, राजस्व वाद संख्या–159/2004 में भी यह अभिकथन किया था कि मंगलाराम ने उसके पक्ष में वसीयत की हुई है, जिसका अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 6 ता 10 ने सविस्तार जवाब प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनाक 24.06.2006 के पृष्ठ सख्या–12 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि गोविन्दराम व कानाराम ने अभिकथित वसीयत को साबित नहीं किया है, जिससे यह माना जा सके कि उनके पक्ष में कोई वसीयत हुई या नहीं। गोविन्दराम ने निर्णय दिनाक 24.04.2006 से 15 वर्ष 10 माह बाद फर्जी एवं कूटरचित वसीयत की रचना कर मिथ्या गवाहान के शपथपत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 23.02.2022 प्राप्त किया जबकि उपतहसीलदार डबलीराठान का यह विधिक उत्तरदायित्व था कि वह अभिकथित दस्तावेज की गहनता से जाँच करते लेकिन उपतहसीलदार डबलीराठान ने अपने विधिक उत्तरदायित्वों की अवहेलना करते हुए गलत रूप से आदेश पारित कर दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.12.2021 से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत 4.554 है० कृषि भूमि मंगलाराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। पटवारी हल्का ने गवाहान् से दुर्भीसन्धी कर चक नम्बर 10 एस.टी जी प०न० 94/283 (43) कि०न० 4, 7, 14,17 व प०न० 93/282 (28) कि०न० 25 पर मंगलाराम का कब्जाकाश्त गलत बताया है। घटनावही का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट है कि यह ईबारत घटना बही में वाद में जोड़ी गयी है। न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अभिकथित कृषि भूमि पर मंगलाराम का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। तरसेम सिंह वार्ड पंच वार्ड न० 8. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब व कर्णवीर सिंह, वार्ड पंच, वार्ड नं0 9. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब ने जानबूझकर बदयांतिपूर्वक मंगलाराम से दुर्भीसन्धी कर मिथ्या प्रमाणपत्र जारी किया एवं इसी प्रकार गवाह जगजीत सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीबास कुतुब एवं गवाह रणजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पि० गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब एवं गवाह गुरजंट सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीबास कुतुब व गवाह लक्ष्मण सिंह पुत्र बखतावर सिह जाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब ने मिथ्या एवं फर्जी एव कूटरचित शपथपत्र प्रस्तुत किए गये हैं जिस पर उपतहसीलदार डबली राठान ने विश्वास कर विधिक त्रुटि की है। कुछ अपीलार्थीगण तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। जिस अखबार में सूचना प्रकाशित की जानी बताई गयी है, यह अखबार गंगानगर जिले में नहीं भेजा जाता है एवं अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सख्या 6 ता 10 गांव के भोले एवं अनपढ़ व्यक्ति हैं. जिनको अखबार का कोई ज्ञान नही है। इसलिए अपीर्थीगण को अखबार में प्रकाशित सूचना दिनाक 22.12.2021 का ज्ञान नहीं हो सका है। प्रत्यर्थी संख्या–1 गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम ने जानबूझकर बदयातिपूर्वक मंगलाराम के अन्य विधिक वारिसान् अर्थात प्रत्यर्थीगण सख्या–6 ता 10 व अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रार्थना पत्र नही बनाया क्योंकि उसकी प्रारम्भ से ही अपीलार्थीगण की कृषि भूमि को हडप्प करने की इच्छा थी। अगर प्रत्यर्थी सख्या–1 सद्भावी होता तो वह अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी सख्या 6 ता 10 को पक्षकार प्रकरण बनाता। प्रत्यर्थी संख्या–1 जब राजस्व वादपत्रों में एव न्यायालय राजस्व अपीलाधिकारी, हनुमानगढ़ में प्रस्तुत की गई अपीलों में पराजित हो गया तो उसने राजस्व न्यायालयों एवं अपीलों के निर्णयों को छिपाते हुए मिथ्या आधारों पर उपतहसीलदार डबलीराठान के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत कर गलत निर्णय पारित करवाया जिससे यह साबित है कि गोविन्द राम सद्भावी नहीं है। प्रत्यर्थी सख्या–1 अत्यंत चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। प्रत्यर्थी सख्या–1 ने अपील मीमो की चरण सख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि में से 5/18 हिस्सा की कृषि भूमि अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाकर इसे जल्दबाजी में केनरा बैंक शाखा हनुमानगढ़ जक्शन में रहन दर्ज कर ऋण प्राप्त कर लिया है। इस ऋण का भार गौविन्दराम की अन्य कृषि भूमि पर कायम किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी निवेदन है कि कैनरा बैंक के ऋण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण की कृषि भूमि का कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया ओर ना ही सहकाश्तकारों से कोई जाँच की गई। प्रत्यर्थी संख्या–1 ने राजस्व वाद एवं अपीलों व उनमें पारित निर्णयों को जानबूझकर छिपाया है, इसलिए उपतहसीलदार डबली राठान का निर्णय दिनांक 23.02.2022 प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 24.03.2023 को अपीलार्थीगण अपनी कृषि भूमि में गये तो वहाँ पर प्रत्यर्थी गोविन्दराम व इसके लड़के आ गये जिन्होने यह धमकी दी कि उन्होने 5 बीघा कृषि

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अलग से अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली है इसलिए वे उन्हें इस कृषि भूमि से बेदखल करेंगे। इस पर अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की तो उन्हें ज्ञान हुआ कि गोविन्द राम ने मंगलाराम की किसी वसीयत के आधार पर 5 बीघा कृषि भूमि अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली है जिसका ज्ञान होते ही अपीलार्थीगण ने दिनाक 27.03.2023 को न्यायालय उपतहसीलदार (भू०अ०) डबलीराठान से निर्णय दिनांक 23.02.2022 व अन्य दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की तो अपीलार्थीगण को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने छिपे तौर पर अपीलार्थीगण को बिना ज्ञान करवाये एवं अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये मंगलाराम की प्रश्नगत कृषि भूमि में से 5 बीघा कृषि भूमि अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली है, जिसका ज्ञान होते ही अविलम्ब बिना किसी देरिना के यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय उप तहसीलदार (भू०अ०) डबली राठान द्वारा पत्रावली बआनवानी गोविन्द राम बनाम राज० राज्य बाबत वसीयत पत्रावली में पारित निर्णय दिनाक 23.02.2022 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या–70 दिनाक 01.09.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं उपतहसीलदार डबलीराठान को यह आदेश दिया जावे कि वह दिनांक 23.02.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में बहाल कर देवे। अति कृपा होगी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की और से अभिभाषक श्री दलीप सारस्वत एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 05 की ओर से अभिभाषक श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 06 ता 10 की ओर से पलविन्द्र सिंह ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उप तहसीलदार (भू०अ०) डबली राठान द्वारा पत्रावली बआनवानी गोविन्द राम बनाम राज० राज्य बाबत वसीयत पत्रावली में पारित निर्णय दिनाक 23.02.2022 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या–70 दिनाक 01.09.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं उपतहसीलदार डबलीराठान को यह आदेश दिया जावे कि वह दिनांक 23.02.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में बहाल कर देवे।। बहस कें समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1. SC SLP Daliben valjibhai&ors. vs Prajapati kodarbhai kachrabhai & Anr on 11-12-2024
2. DNJ(SC) 2025 (1) page 193
3. SC DB Collector Land Acquisition,&... vs Mst. Katiji & orss on 19-2-1987
4. SC DB Shakuntala devi jain vs Kuntal Kumari and orss on 05-9-1968
5. SC DB State pf Maga;amd vs Lipok Ao ors on 01-4-2005

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किये की अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध मनगढंत एवं गिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है इस वसीयत का अपीलांट को राजस्व वाद संख्या–159/2004 में पक्षकार होने से वर्ष 2009 से ज्ञान रहा है तथा अपीलांट द्वारा उक्त वसीयत को वर्ष 2009 से किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांट ने उक्त ईन्तकाल की नकल लेने हेतु दिनांक 27.03.2023 को उपतहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.03.2023 का ईन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होना बताया है। वस्तुतः अपीलांट ने उक्त अपील दिनांक 05.04.2023 को अदालत में पेश की थी, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में आदेश दिनांक 23.02.2022 से 10 माह की देरी के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं जबकि माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट होता है कि अपीलांट को अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उक्त 10 माह की देरी के बारे में दिन प्रतिदिन के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपतहसीलदार डबलीराठान द्वारा उक्त आदेश पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए किया गया है इसलिए उक्त आदेश विधि अनुसार है। अतः निवेदन किया की अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट ने बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1- DNJ (SC) 2014 page 310

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

2- DNJ (Raj) 2011 (2) page 903
3- DNJ (Raj)2012 (2) page 781
4- RRT 2011 (1) page 87

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 05 ने अपनी बहस में कथन किये की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए अखबार में साया करते हुए एवं गवाह के शपथ पत्र लेकर किया है आदेश पूर्णत्या विधिसम्मत है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। उक्त आधारों पर निवेदन किया की अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी के शपथ पत्र के आधार पर अपील में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। मेरी विन्नम राय में अभिभाषक रेस्पोडन्ट द्वारा पेश न्यायिक नजीरें मियाद के सम्बध में है, जो प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र एवं अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा पेश न्यायीक नजीरें के अनुसार उक्त प्रकरण में चस्पा नही होती है।
2. उक्त वसीयत की असल प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा सिविल न्यायालय में पेश चार्जशीट नं. 209 दिनांक 09.09.2024 अनुसार "शिविर प्रभारी प्रशासन गावों के संग अभियान में उपतहसीलदार (भू.अ.) डबलीराठान के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2021 में वसीयत के आधार पर ईन्तकाल करने हेतु वसीयत की फोटोप्रति पेश की गई है, मूल वसीयत पेश नही की गई है"। मूल वसीयत का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।
3. प्रश्नगत वसीयत की प्रति का अवलोकन करने पर पाया की उक्त दस्तावेज में वसीयत होने का उल्लेख ही नही है केवल अनुमान के आधार पर वसीयत मानना कानून सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त केवल छायाप्रति को प्रमाणिक दस्तावेज भी नही माना जा सकता। इस संबंध में रेस्पोडेंट अपने हको के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपतहसीलदार (भू.अ.) डबलीराठान द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.02.2022 एवं नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 01.09.2022 अपास्त किया जाता है। पक्षकारान सक्षम न्यायालय में प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना अपना हक घोषित करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़